

पत्र सं०- जनसूचना-शासन-अधिरोपित अर्थदण्ड वसूली/2019-20 /

277

/ वाणिज्य कर

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

सेवा में,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद ।

(जनसूचना अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ::

28

जुलाई, 2020

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 3364 दिनांक 19.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक प्राधिकरणों में नियुक्त जनसूचना अधिकारियों पर आरोपित अर्थदण्ड की वसूली की अद्यतन स्थिति की सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी है । आपके द्वारा पत्र संख्या- 288 दिनांक 06.07.2020 , पत्र संख्या- 322 दिनांक 14.07.2020 एवं पत्र संख्या- 344 दिनांक 22.07.2020 द्वारा माह मार्च, अप्रैल एवं मई-2020 की प्रारूप- स की सूचना उपलब्ध करायी गयी है ।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारूप- स के क्रमांक-4 का प्रकरण पत्र संख्या- 3364 दिनांक 19.03.2020 से उपलब्ध करायी गयी आरोपित अर्थदण्ड की सूचना में सम्मिलित नहीं है तथा आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी अर्थदण्ड की सूचना के क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 का प्रकरण प्रारूप-स में सम्मिलित नहीं है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रारूप- स व अर्थदण्ड की समेकित सूचना अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या अविलम्ब निर्धारित प्रारूप में मेल ctpihqlu-up@gov.in उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(सोनिका)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/सहा0जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ

पृ०प०संख्या व दिनांक ।

प्रतिलिपि :- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु ।

28.07.20
असिस्टेन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/सहा0जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ